

OPERATION CONVICTION

DISTRICT AMETHI

20.07.2025



अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करना व धमकी देना एवं दुष्कर्म करना

मु0अ0सं0 198/25



थाना मुसाफिरखाना पर मु0अ0सं0 198/2025 धारा 333/65(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5(3)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त दोष सिद्ध



अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई।

25.09.2026



माननीय न्यायालय एसजे-12/पॉक्सो कोर्ट सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को दण्डित किया गया।

अभियोजन अधिकारी



श्री राजेश कुमार द्विवेदी
एडीजीसी

पैरोकार



हेमन्त कुमार यादव
हे0का0 पैरोकार

अभियुक्त

सुरजीत निषाद पुत्र
रामरूप निषाद
निवासी कैलाशपुर
मजरे चंदीपुर थाना
मुसाफिरखाना
जनपद अमेठी

न्यायालय द्वारा दण्ड



20 वर्ष का कठोर
कारावास

+



25,000 रु0 अर्थदण्ड

(अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह
का अतिरिक्त कठोर कारावास)



थाना : मुसाफिरखाना



धारा : 333, 65(2),
115(2), 351(3) बीएनएस
व 4(2) पॉक्सो एक्ट



मु0अ0सं0 :
198/25

